



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 21.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 03 सरिये व 4 लकड़ी के डंडे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.24 को वादी श्री संदीप सैनी पुत्र श्री सुरेश सैनी निवासी मौहल्ला कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर के भाई अनुज सैनी उम्र करीब 35 वर्ष के उपर मोटरसाइकिल के ओवरटेक को लेकर हुए झगड़े में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से देवबन्द रोड रेलवे फाटक के पास हमला किया था, जिसमें वादी के भाई अनुज सैनी को काफी गम्भीर चोट आई थी जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 237/24 धारा 109/3(5) बी0एन0एस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.सोहेल पुत्र यासीन 2.शादाब पुत्र बाबु 3.शाहरुख पुत्र नौशाद 4.रिहान पुत्र हारून 5.बिलाल पुत्र बाबु 6.अमजद पुत्र अय्यूब निवासीगण निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को शिवदासपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 03 सरिये व 04 लकड़ी के डंडे शिवदासपुर पुलिया के पास बाग से बरामद किये गये। अभियुक्त अमजद व बिलाल को देवबन्द रोड माडी के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 190/191(2) /191(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि ग्राम हरडेकी के पास मोटरसाइकिल ओवर टेक को लेकर हम सभी का अनुज सैनी से झगड़ा हो गया था। इसी रंजिश को लेकर हम सभी लोगो ने अनुज के साथ रेलवे फाटक देवबन्द रोड के पास उसे पकड़कर लोहे के सरिये व डंडो से उसके उपर जान से मारने की नियत से चोट पहुंचाई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. सोहेल पुत्र यासीन निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. शादाब पुत्र बाबु निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. शाहरुख पुत्र नौशाद निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. रिहान पुत्र हारून निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
5. बिलाल पुत्र बाबु निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
6. अमजद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ घटना में प्रयुक्त 03 सरिये व 04 लकड़ी के डंडे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री विनय कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
5. का0 2049 ब्रिजेश कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर



दिनांक: 21.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 46 (पच्चे) देशी शराब बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब व नशीले पदार्थों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **राजेश उर्फ रजत पुत्र स्व0 बिन्दर निवासी ग्राम बिडवी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को ग्राम टोली भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 46 (पच्चे) देशी शराब बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 234/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त राजेश ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ मैं देशी शराब हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजेश उर्फ रजत पुत्र स्व0 बिन्दर निवासी ग्राम बिडवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

➤ 46 पच्चे देशी शराब।

अभियुक्त राजेश उर्फ रजत उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 286/19 धारा 63 आबकारी अधि0 चालानी थाना नागल जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 288/19 धारा 414/465 भादवि चालानी थाना नागल जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 65 पिन्टू कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 21.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा **दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त** को किया गया **गिरफ्तार**

थाना सरसावा पर दिनांक 28.02.2024 को वादी की लिखित बाबत अभियुक्त दीपक पुत्र बलवीर निवासी ग्राम लक्सरी थाना लक्सर उत्तराखण्ड द्वारा वादी की बहन को बहलाफुसला कर भाग ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0 45/2024 धारा 366 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **अनुज कुमार पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम बलहेढा थाना झिंझाना जिला शामली** को अंबाला देहरादून हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376/328/323/506/120बी भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज कुमार पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम बलहेढा थाना झिंझाना जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0 का0 1006 तरुण त्यागी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1050 नितिन कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 21.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सरसावा पर दिनांक 08.07.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सद्दाम पुत्र इनाम निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री को बहलाफुसला भाग ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 173/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सद्दाम पुत्र इनाम निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को शांति धाम रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सद्दाम पुत्र इनाम निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 कंचन थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 2551 विक्रम सिंह थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब की बिक्री व इसके निर्माण में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.07.24 को 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त **दलीप पुत्र चन्दवा निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को बाहद ग्राम चन्दपुर मजबता के एक बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडगाँव पर मु०अ०स० 154/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त दलीप पुत्र चन्दवा उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

➤ दलीप पुत्र चन्दवा निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर उम्र 55 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

➤ 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

➤ मु०अ०स० 50/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ०नि० श्री अरविन्द थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. हो०गा० 2099 शेर पाल थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. हो०गा० 2077 सतीश थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 21.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त पैगाम पुत्र मकमूल निवासी ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को ग्राम माजरीकला के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 189/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त पैगाम उपरोक्त ने बताया कि जो चाकू पुलिस द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं लोगो को डराने धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पैगाम पुत्र मकमूल निवासी ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 2.है0का0 71 प्रदीप थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 3.का0 46 जितेन्द्र सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मोनू पुत्र सुबेराम निवासी ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 1448/20 मु0अ0सं0 306/17 धारा 452/323/324/504/506 भादवि के अन्तर्गत उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोनू उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोनू पुत्र सुबेराम निवासी ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम:-

- उ0नि0 श्री विनोद तेवतिया थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
- है0का0 264 अनिल कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 184
ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **अब्दुल्ला मलिक पुत्र गफफार निवासी ग्राम दावकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को ग्राम दावकी गुर्जर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे 184 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 298/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हैं और मैं मजदूरी का कार्य करता हूँ। अक्सर मुझे पैसो की तंगी रहती है। मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता:-

अब्दुल्ला मलिक पुत्र गफफार निवासी ग्राम दावकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 184 ग्राम नाजायज चरस

अभियुक्त अब्दुल्ला मलिक का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 309/23 धारा 279/304ए भा0द0वि0 चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 37/20 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 2/3 सा0स0नु0नि0 अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0स0 86/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार यादव थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1035 सचिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 241 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

